

## <sup>1</sup>संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962

(सं० आ० 64)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के गुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, जातियां समझे जाएंगे:

परंतु कोई भी व्यक्ति, जो हिंदू <sup>2</sup>[, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

### अनुसूची

1. भंगी

2. चमार

3. माहर

<sup>3</sup>[4. माहयावंशी ]

---

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 300, तारीख 30 जून, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3, पृ० 389 पर प्रकाशित ।

<sup>2</sup> 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा (3-6-1990 से) “या सिख” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2002 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 और अनुसूची 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।